रूप से विचारित लक्ष्यों की तुलना में अधिक ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करना है । नई योजना का उद्देश्य पवन, लघु जल विद्युत, बायो ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से आठवीं योजना में पहले से विचारित लगभग 600 मैगावाट विद्युत उत्पादन की तुलना में 1655—1955 मैगावाट विद्युत उत्पादन करना है । इसमें वर्ष 1993-94 के दौरान रोशनी के लिए एक लाख सौर प्रकाशवोल्टीय लालटेनों और सिंचाई हेतु एक हजार सौर पंप स्थापित करना भी शामिल है । इसमें विभिन्न घरेलू, संस्थागत और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए खाना पकाने की ऊर्जा और प्रक्रिया ऊष्मा उपलब्ध/संरक्षित करने के लिए 10 लाख बायोगैस संयंत्र, 180 लाख उन्नत चूल्हे, 7 लाख सौर कुकर और 11 लाख वर्ग मी० सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र स्थापित करने के बढ़े हुए लक्ष्य पर भी विचार किया गया है । तथापि परिकल्पित कार्यक्रम का कार्यान्वयन वित्तीय संसाधनों के जुटाए जाने और अन्य संबंधित निवेशों पर निर्भर करेगा ।

(ग) और (घ) जी, हां । इस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई नई रणनीति और कार्ययोजना के अंतर्गत आठवीं योजना के दौरान लघु जल विद्युत के माध्यम से 600 मैगावाट की क्षमता की बढ़ोतरी की परिकल्पना की गई है ।

(ङ) और (च) सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र प्रत्येक में 300 मैगावाट की समग्र क्षमता की स्थापना को शुरू करने की अनंतिम रूप से परिकल्पना की गई । एक विस्तृत आकलन के अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में परियोजनाओं में प्रत्येक में संभवतया 1200 करोड़ रुपये का व्यय निहित है । लघु जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे राजस्व संबंधी और वित्तीय प्रोत्साहनों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

विवरण

निजी क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहन/सहायता

(क) सिंचाई बांधों की तलहटी/नहर प्रपात आधारित स्थलों पर 15 मे० वा० स्टेशन क्षमता तक की परियोजनाओं के लिए इरेडा के माध्यम से उदार शर्तों पर ऋण इस उद्देश्य के लिए इरेडा के संसाधनों में अतिरिक्त तौर पर 70 मिलियन अमेरिकी डालर का विश्व बैंक ऋण सुरक्षित रखा गया है ।

ऋण सीमा	: परियोजना की कुल लागत का 75% तक अथवा विश्व बैंक ऋण के अंतर्गत पात्र मदों की लागत, इनमें से जो भी कम हो ।
ब्याज दर	: 15.5% जिसके साथ समय पर पुनर्संदायगी करने पर 0.5% की छूट है ।
पुनर्संदायगी अवधि	: 10 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष की विलम्बन अवधि के साथ, कई उद्यमियों ने इरेडा से ऋण के लिए पहले ही आवेदन दिए हैं और ऋण तभी मंजूर किया जाएगा जब उद्यमियों द्वारा सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं ।

(ख) इरेडा/विश्व बैंक के ऋण के लिए पात्र न होने वाली परियोजनाओं के लिए सिविल और ई एण्ड एम कार्यों की स्वीकार्य पूंजीगत लागत का 50% तक अपारंपरिक स्रोत मंत्रालय की आर्थिक सहायता । (इस किस्म का अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।)

(ग) 25.00 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत परिव्यय वाली विद्युत उत्पादन योजनाओं के लिए केन्द्र से कोई तकनीकी आर्थिक अनापत्ति लेना आवश्यक नहीं है ।

(घ) 20% की दर पर रियायती सीमा शुल्क ।

(ङ) आज ही की बजट घोषणा के अनुसार विद्युत उत्पादन के लिए लागू कर अवकाश ।

(च) अन्य नए तथा अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के लिए पहले से ही लागू आयकर के अंतर्गत 100 % ह्रास विचाराधीन है ।

Inoperational Gobar Gas Plants in Ghazipur Dairy Colony

4347. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of gobar gas plants in Ghazipur Dairy Colony of Delhi are inoperational;

(b) if so, the details thereof, and the reasons therefor; and

(c) what measures Government plan to take, to make them operational ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY RESOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) No, Sir. The large Gobar Gas (Biogas) system consisting of five biogas plants, installed at the Ghazipur Dairy Colony of Delhi under Community/Institutional/Night Soil Biogas Plant Programme of the Ministry of Non-conventional Energy Sources is presently supplying biogas for cooking purposes to 49 households round the clock.

(b) and (c) Does not arise.